

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-12/स्था0-01-28/2024

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी से प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में श्री इरशाद अहमद, तत्कालीन कनीय अभियंता (असैनिक) सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी को स्वयं के चिकित्सा कराने के क्रम में बितायी गयी अवधि दिनांक 20.06.2019 से 09.07.2019 तक (कुल-20 दिन) का बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(गुंजन कुमार)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -  
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी को उनके पत्रांक-3459 दिनांक 29.10.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -  
प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, सोन बराज अंचल, डिहरी/ कार्यपालक अभियंता, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी (रोहतास)/ श्री इरशाद अहमद, तत्कालीन कनीय अभियंता (असैनिक) सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 1326 पटना/दिनांक - 22.3.2025  
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)।

19.03.25